न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 57/2016

श्री असलम काठात पुत्र श्री मंगला काठात जाति मेहरात निवासी ग्राम कुण्डिया ग्राम पंचायत कानाखेडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.02.2020

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा कानाखेडा पटवार क्षैत्र कानाखेडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर में खसरा नंबर 42 रकबा 05–12–00, 51 रकबा 01–12–00, 56/2 रकबा 01–17–00, 386/2 रकबा 00–02–10, 422 रकबा 00–05–00, 424 रकबा 05–00–00, 743/2 रकबा 00–07–00 कुल रकबा 14–15–10 भूमियां स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमियो प्राथी की खातेदारी की भूमियां है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी राजकीय सेवा में सेवारत है, प्रार्थी का नाम असलम काठात पुत्र मंगला काठात है। जो उसके समस्त दस्तावेजो में राजकीय सेवा रेकार्ड में आधार कार्ड राशनकार्ड पहचान पत्र सभी में प्रार्थी का नाम असलम काठात ही इतना ही प्रार्थी के अन्य राजस्व रेकार्ड की भूमियो में प्रार्थी का नाम असलम काठात ही दर्ज है। इस बाबत प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत कानाखेडा द्धारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, किन्तु वादग्रस्त भूमियो में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र मंगला मेहरात अंकन किया गया है, जो गलत है। प्रार्थी को उदा नाम से भी पुकारते एंव जाना जाता है, इतना ही नही प्रार्थी का शुरू से विद्यालय रेकार्ड में भी उदा नाम ही अंकित चला आ रहा था जो उसके विद्यालय रेकार्ड में कक्षा 3 तक रहा इसके पश्चात अन्य दस्तावेजो में तो प्रार्थी का नाम असलम काठात के रूप में परिवर्तन कर दिया गया तथा वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के उपनाम के रूप में अंकित कर दिया गया जो सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त लिपकिय त्रुटी को सुधरवाने हेतू प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उक्त त्रुटी सुधार नही करने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियो में प्रार्थी का नाम उदा पुत्र मंगला मेहरात अंकन है, उसके स्थान पर सुधार कर असलम पुत्र मंगला दर्ज किये जाने के आदश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मसूदा ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किए कि प्रार्थी के राशनकार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड एंव अंक तालिका के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम उदा को असलम काठात करवाना चाहता है, यदि रेकार्ड में उदा के स्थान शुद्ध अंकन असलम शुद्ध करने की अनुशंषा की है।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 30 में उदा पुत्र मंगला कौम मेहरात खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तथा ग्राम पंचायत कानाखेडा ने प्रमाण पत्र दिनांक 29.9.2016 को जारी किया गया है, उसमें भी प्रार्थी का असलम काठात का नाम राजस्व रेकार्ड में उदा पुत्र मंगला गलत होने बाबत कथन किया है। आधार कार्ड संख्या 381067326007 में भी असलम काठात पुत्र मंगला काठात दर्ज होना पाया गया। तथा पहचान पत्र व

.....लगातार

राशन कार्ड में असलम काठात दर्ज होना पाया गया। जबकि तहसीलदार मसूदा ने भी उदा पुत्र मंगला के स्थान पर असलम काठात पुत्र मंगला दर्ज करने की अनुशंषा की है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, जबकि धारा 136 में यह उल्लेखित किया गया है, कि सेटलमेंट से पूर्व की ऐन्ट्री के बाद नये सेटलमेंट में यदि किसी आसामी या खातेदार का नाम गलत अंकित हो गया हो तो ही धारा 136 राज0लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान लागू होते है, जबकि प्रार्थी द्वारा जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के आधार पर अपना नाम दुरूस्त करवाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0लैण्ड रेवेन्यू के प्रावधानो के तहत नाम दुरूस्ती करवाये जाने का अधिकारी नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.12 17:13:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: